हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम तो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। आदेश/निर्णय अलग से लिखाया जाकर शा० पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 3/2023

दिनांक :– 28/10/2025

1 श्रीमती प्रेम कंवर पुत्री स्व. मान सिंह पत्नि श्री राजू सिंह जाति राजपूत आयु 36 वर्ष निवासनी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर हाल निवासीनी ग्राम पार्वतीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.।

प्रार्थीया

बनाम

1. सायर कंवर पत्नि स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
2. आनन्द सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
3. राजू सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
4. मनीषा कंवर पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
5. पिंकी कंवर पुत्री भंवर सिंह नाबालिग आयु 16 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक अपनी माता श्रीमती सायर कंवर पत्नि स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
6. आसी पत्नि मोहनराम जाति नायक आयु वयस्क निवासनी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
7. पेमी पत्नि रामप्रताप जाति जाट आयु वयस्क निवासनी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
8. पीयूष पुत्र लिलावती जाति जाट आयु वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
9. मुरलीधर पुत्र जालूराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
10. श्रवणकुमार पुत्र जालूराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
11. सन्तोष देवी पत्नि मनोज कुमार जाति जाट आयु वयस्क निवासनी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
12. सुमित पुत्र लिलावती जाति जाट आयु वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.।
13. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू।
14. शाखा प्रबन्धक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू
15. उप–पंजीयक, बीदासर जिला चूरू राज.।
16. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, बीदासर।

अप्रार्थीगण

17. रिधि कंवर आयु 10 वर्ष पुत्री स्व. रूकमा कंवर नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक अपने पिता श्री तोल सिंह पुत्र गोमद सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी करणीसर, बीकानेर राज.।
18. विक्रम सिंह आयु 7 वर्ष पुत्र स्व. रूकमा कंवर नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक अपने पिता श्री तोल सिंह पुत्र गोमद सिंह जाति राजपूत निवासी करणीसर, बीकानेर राज.।

गौण–अप्रार्थीगण

लगातार...2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

इस आदेश के द्वारा प्रार्थीया प्रेम कंवर पुत्री स्व. मानसिंह पत्नि श्री राजू सिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर हाल निवासीनी ग्राम पार्वतीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा सपठित धारा 151 सी. पी. सी. का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :–

1. यह कि प्रार्थीया एवम् अप्रार्थीगण संख्या 1 एक ता 5 पांच व गौण अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 एक ही परिवार एल के व्यक्ति है तथा ग्राम अमरसर के स्थायी निवासी है, अग्रांकित प्रार्थना–पत्र को समझने के लिये पक्षकारान का वंश वृक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार से है :–

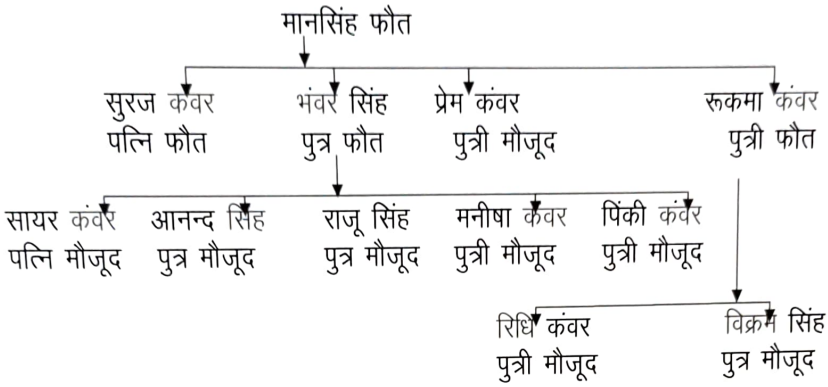

2. यह कि प्रार्थी के पिता स्व. मानसिंह व अप्रार्थीगण संख्या 1 के पति व 2 ता 5 के पिता एवं गौण–अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 के नाना के वक्त की खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की कृषि भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 14.6824 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.8853 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 3.5789 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 2.6937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 11.8244 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 405 रकबा 4.0848 व खसरा नम्बर 344 रकबा 3.9962 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 41.8469 हैक्टेयर रोही मौजा अमरसर तहसील बीदासर में राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्थित है।

3. यह कि खातेदार मानसिंह का स्वर्गवास दिनांक 26.02.2007 को हो चुका है तथा मान सिंह की पत्नि व मानसिंह के पुत्र भंवर सिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार मानसिंह व मानसिंह की पत्नि की और पुत्र भंवर सिंह की मृत्यु के बाद उक्त वादगत खेतों की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 के पति व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता भंवर सिंह, प्रार्थीनी प्रेम कंवर व एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 की माता श्रीमती रूकमा कंवर के ब.हि.ब. दर्ज होनी थी लेकिन खातेदार मान सिंह के स्वर्गवास के पश्चात वादगत खेतों की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने बिना किसी कानून के तथा विधि विरूद्ध तरीके से साजिसाना तौर पर ग्राम–पंचायत एवं राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर प्रार्थीनी व गौण अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 की माता श्रीमती रूकमा कंवर को नहीं दर्शाते हुये जरिये नामन्तरकरण संख्या 313 दिनांक 05.06.2007 ई. के द्वारा वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा ली जो प्रार्थीनी व गौण अप्रार्थीगण के अधिकारों के सामने शुन्य व निष्प्रभावी है।

4. यह कि स्व. मानसिंह के स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त खसराजात की भूमि में सदामत से ही प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का 1/3 हिस्सा व गौण–अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 का 1/3 हिस्सा कायम हो गया तथा इसी अनुसार कब्जा, दखल, उपयोग व उपभोग प्रार्थीनी एवं गौण अप्रार्थीगण का अपने–अपने हिस्से पांति की भूमि पर चला आ

लगातार....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

रहा है। क्योंकि वादगत खेत संयुक्त हिन्दू परिवार के अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने पटवार हल्का, ग्राम पंचायत से मिलकर छल, कपट, बेईमानीपूर्वक आशय से फर्जी एवं कूटरचित अधुरा कुर्सीनामां तैयार कर स्व. मानसिंह के अकेले वारिसान पत्नि व पुत्र दर्शाकर वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाली तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को भी उक्त कुर्सीनामां में नहीं दर्शाया। स्व. मानसिंह के अन्य वारिसान पुत्रियों प्रेम कंवर व रूकमा कंवर को दर्शाया ही नहीं जबकि प्रार्थीनी व गौण अप्रार्थीगण की माता श्रीमती रूकमा कंवर स्व. मानसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिसान है।

5. यह कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीनी के पिता स्व. मानसिंह के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग एवं स्वामित्व की सम्पतियां थी जो स्व. मानसिंह के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान प्रार्थीनी, गौण अप्रार्थीगण सं 17 व 18 व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को विरासतन प्राप्त हुयी। परन्तु राजस्व रेकार्ड में स्व. मानसिंह व स्व. भंवर सिंह के देहान्त के पश्चात दर्ज किये गये नामान्तरण में अकेले अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गयी जिसका ना ही कर्मचारियों को कोई कानूनी अधिकार था और ना ही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को सम्पूर्ण वादगत सम्पति की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का कोई अधिकार था। वादगत सम्पति में प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा कानूनन होने के बावजूद प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदार 1/3 हिस्सा दर्ज ना होने से प्रार्थीनी अपने वाजिब कानूनी अधिकारों से महरूम हुयी है एवं प्रार्थीनी के लिये आवश्यक हो गया कि वह वादगत कृषि भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर वादगत सम्पति में से 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाये।

6. यह कि प्रार्थीया साक्षर, घरेलू व पर्दानशी महिला होने के कारण राजस्व रेकार्ड की जानकारी नहीं रख सकी तथा वादगत कृषि भूमि में प्रार्थीनी के कब्जे, काश्त, उपयोग व उपभोग में कभी भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दखल नहीं किया गया और ना ही किसी अन्य द्वारा अधिकार जताया गया था इसलिये राजस्व रेकार्ड देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। हाल ही लगे राजस्व केम्प में प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के बाबत जानकारी की तो मालूम हुआ कि वादगत कृषि भूमि की खातेदारी अकेले अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने करवाली एवं उसके बाद खसरा नम्बर 344 में से अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 12 को गलत रूप से बिना कानूनी अधिकार के विक्रय कर दी इस पर प्रार्थीनी ने इन्तकाल संख्या 313 दिनांक 05.06.2007 की पटवारी हल्का अमरसर से दिनांक 19.12.20022 तथा वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित नकलें दिनांक 21.12.2022 को नकलें हासिल की व पूर्ण जानकारी की तब उक्त गलत खातेदारी का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ है।

7. यह कि वादगत कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा पैत्रक सम्पति होने व प्रार्थीनी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्तकार है, व गौण अप्रार्थीगण 1/3 हिस्से पर काबिज है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 12 के साथ अपने हिस्से पर काबिज है तथा मौके पर अपने–अपने हिस्से को काश्त करते है परन्तु अपने हिस्से की कृषि भूमि में मैड बनाने, खाद डालने, पेड़ लगाने, आधुनिक कृषि संयत्रों का उपयोग करने तथा राजस्व लाभ प्राप्त करने आदि बातों को लेकर हमेशा विवाद रहता है। इसलिये प्रार्थीनी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वादगत कृषि भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि का विभाजन ''बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस'' करवाकर अलग खाता व अलग लगान कायम करवाये।

8. यह कि प्रार्थी एक साक्षर व घरेलू व पर्दानशी महिला होने के कारण राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही कर सकी तथा वादगत कृषि भूमि में से प्रार्थीया के कब्जे, काश्त, उपयोग व उपभोग में कभी भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दखल नहीं किया गया और ना ही अधिकार जताया गया था इसलिये राजस्व रिकार्ड देखने की जरुरत भी नहीं पड़ी थी।

लगातार....4...पर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने वादगत खेतों की गलत खातेदार के आधार पर वादगत खेत खसरा नम्बर 344 रकबा 3.9962 हैक्टेयर में से कृषि भूमि विक्रय कर दी जिसका अधिकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को अधिकार नहीं था। वादगत खेतों में से 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रार्थीनी का कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग निर्बाध व शान्तिपूर्वक रूप से उसके पिता स्व. मानसिंह के जीवनकाल से चला आ रहा है वादगत खेत संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक व कोपार्सनरी सम्पति के है स्व. मानसिंह के स्वर्गवास के पश्चात वादगत खेतों में प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा कानूनन कायम हो गया। वादगत खेतों का वर्तमान राजस्व रेकार्ड प्रार्थीनी के मुकाबले आरम्भतः गलत एवं शुन्य है, राजस्व रेकार्ड में अपने 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा कर अपना नाम अंकित करवाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराये जाने के प्रार्थीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

10. यह कि प्रार्थीनी ने दिनांक 01.01.2023 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 से मिलकर वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाकर वादगत कृषि भूमि में अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी अलग करवाकर भूमि का विभाजन कराकर उसके नाम राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी अंकित कराये तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने कहा कि तुम्हारा नाम हमने दर्ज ही नहीं करवाया तथा प्रार्थीनी को ऐलानियां तौर पर धमकियां दी कि वोह वादगत खेतों की खातेदारी का विभाजन नहीं करवायेगें तथा खेतों पर जबरन कब्जा करके प्रार्थीनी को बेदखल करके प्रार्थीनी को उसके 1/3 हिस्से की भूमि को विक्रय कर देगें। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 अपने गलत उदेश्य की पूर्ती में सफल हो गये तो प्रार्थीया को अपने हिस्सा पांति की भूमि से वंचित होना पड़ेगा, जिससे प्रार्थीया को अपूर्तीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थीनी के लिये आवश्यक हो गया है वोह न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर अप्रार्थीगण को वर्जित कराये कि जब तक वादगत खेतों की खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाये तब तक वादगत खेतों के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बन्धक, रहन, हस्तान्तरणादि नहीं करे और ना ही प्रार्थीनी को उसके 1/3 हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें ना ही प्रार्थीया के कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे और ना ही किसी से करावे जिससे प्रार्थीनी के वैद्य अधिकारों पर विपरित असर पड़।

11. यह कि वादगत खेतों की भूमि प्रार्थीनी के पिता स्व. मानसिंह के खातेदारी की कृषि भूमियां है जो प्रार्थीनी की पैत्रक व कोपार्सनरी सम्पति है तथा प्रार्थीनी का 1/3 भूमि की कब्जाधारी काश्तकार है व कानूनन खातेदार होने से प्रार्थीया को वादाधार प्राप्त है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा दिनांक 01.01.2023 को स्पष्ट रूप से इन्कार होकर एलानियां धमकी देने से प्रार्थीनी को वाद हैतुक प्राप्त है।

12. यह कि प्रार्थीनी का कब्जा, काश्त वादगत खेतों में 1/3 हिस्से की भूमि में सदैव से ही होने से प्रार्थीनी को वादगत खेतों की खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाने का कानूनी अधिकार रखती है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड प्रार्थीनी के अधिकारों के सामने शुन्य है और अप्रार्थीगण 1 ता 3 को प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का या वादगत भूमि को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

13. यह कि अप्रार्थीगण 1 ता 3 बलशाली व राजनैतिक पहॅच वाले लोग है तथा प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश की पर्दानशी महिला है। अप्रार्थीगण 1 ता 3 को न्यायालय की सहायता से वर्जित नहीं करवाया गया तो वोह प्रार्थीया को उसकी कब्जा, काश्त की भूमि से बेदखल कर देगें जिससे प्रार्थीया को अपूर्तीय क्षति होगी। वादगत खेतों की भूमि प्रार्थीनी की पैतृक सम्पति होने वा कानूनन खातेदार होने से प्रार्थीनी को वादाधार प्राप्त है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के ही पक्ष में है।

लगातार....5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

यह कि प्रार्थीया को अगर उसकी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की कृषि भूमि से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीनी अपनी मुल्यवान सम्पति से महरूम हो जायेगी तथा प्रार्थीनी उक्त वादगत खेतों की कृषि भूमि में अपने नाम की घोषणा करवाने की अधिकारी है, प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया सारवान मामला है।

15. यह कि वादगत कृषि भूमि रोही मौजा अमरसर में स्थित है जिसके बारे में विवादों की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान्‌जी के न्यायालय को प्राप्त है।

16. यह कि प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का है जो निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावे कि वादगत खसरा नम्बर 292 रकबा 14.6824 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 कबा 0.8853 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 3.9962 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 3.5789 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 2.6937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 11.8244 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 405 रकबा 4.0848 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 41.8469 हैक्टेयर रोही मौजा अमरसर तहसील बीदासर की भूमि में से प्रार्थीया के 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रार्थीनी को काश्त करने, फसल लेने, प्रवेश करने से रोके नहीं, प्रवेश नहीं करें एवं विक्रय, बंधक व हस्तान्तरणादि नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य या फैल नहीं करें जिससे प्रार्थीया के वैद्य अधिकारों पर विपरित असर पड़े।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया को एक पक्षीय सुना गया, अप्रार्थीगण को दिनांक 16.01.2023 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि रोही ग्राम अमरसर के खेत खसरा नम्बर 292 रकबा 14.6824 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.8853 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 3.9962 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 3.5789 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 2.6937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 11.8244 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 405 रकबा 4.0848 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 41.8469 हैक्टेयर के राजस्व रेकॉर्ड की व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तारीख पेशी 15.05.2024 को अप्रार्थी सख्या 01 सायर कंवर की और से श्री मनोज गोदारा एडवोकेट द्वारा दावा में वकालतनामा प्रस्तुत किया। मूल दावा में बाकी अप्रार्थी सख्या 2 ता 14 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीया सख्या 1 द्वारा दिनांक 24.07.2025 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती का जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया।

1. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 1 स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 2 स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 3 में वर्णित कथन ही खातेदार मानसिंह व उसकी पत्नि व मानसिंह के पुत्र भंवरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है स्वीकार है शेष तथ्य मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 4 आंशिक रूप से अस्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 5 में वर्णित कथन वादगत भूमि मानसिंह के कब्जा, काश्त, उपयोग उपभोग की थी स्वीकार है शेष कथन मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 6 अस्वीकार है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 7 अस्वीकार है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 8 अस्वीकार है।

लगातार....6 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

9. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 9 अस्वीकार है।
10. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 10 अस्वीकार है।
11. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 11 अस्वीकार है।
12. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 12 अस्वीकार है।
13. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 13 अस्वीकार है।
14. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 14 अस्वीकार है।
15. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 15 कानूनी है।
16. यह कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की मद सख्या 16 कानूनी है।

जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष की प्रार्थीनी हकदार नहीं है क्योकि एक रेकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थीया के अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर सव्यय खारीज फरमाया जावें।

बहस प्रार्थीया एवं अप्रार्थी स. 1 के अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा के तथ्यों को दौहराते हूए निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता मानसिंह के प्रार्थीया की माता सुरज कंवर पत्नि फौत, भंवरसिंह पुत्र फौत, प्रार्थीया प्रेम कंवर, एवं प्रार्थीया की बहन रूखमा कंवर फौत कुल चार वारिस हूए। प्रार्थीया की माता के स्वर्गवास के उपरान्त वादगत खसराजात की भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा, स्वर्गीय भंवरसिंह के वारिसान का 1/3 हिस्सा ब.हि.ब तथा स्वर्गीय रूखमा कंवर के वारिसान का 1/3 हिस्सा ब.

हि.ब कायम होता है तथा खातेदार मानसिंह व मानसिंह की पत्नि की और पुत्र भंवर सिंह की मृत्यु के बाद उक्त वादगत खेतों की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 के पति व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता भंवर सिंह, प्रार्थीनी प्रेम कंवर व एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 की माता श्रीमती रूकमा कंवर के ब.हि.ब. दर्ज होनी थी लेकिन खातेदार मान सिंह के स्वर्गवास के पश्चात वादगत खेतों की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने बिना किसी कानून के तथा विधि विरूद्ध तरीके से साजिसाना तौर पर ग्राम–पंचायत एवं राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर प्रार्थीनी व गौण अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 की माता श्रीमती रूकमा कंवर को नहीं दर्शाते हुये जरिये नामन्तरकरण संख्या 313 दिनांक 05.06.2007 ई. के द्वारा वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा ली जो प्रार्थीया व गौण अप्रार्थीगण के अधिकारों के सामने शुन्य व निष्प्रभावी है। स्व. मानसिंह के स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त खसराजात की भूमि में सदामत से ही प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का 1/3 हिस्सा व गौण–अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 का 1/3 हिस्सा कायम हो गया तथा इसी अनुसार कब्जा, दखल, उपयोग व उपभोग प्रार्थीनी एवं गौण अप्रार्थीगण का अपने–अपने हिस्से पांति की भूमि पर चला आ रहा है क्योंकि वादगत खेत संयुक्त हिन्दू परिवार के अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने पटवार हल्का, ग्राम पंचायत से मिलकर छल, कपट, बेईमानीपूर्वक आशय से फर्जी एवं कूटरचित अधुरा कुर्सीनामां तैयार कर स्व. मानसिंह के अकेले वारिसान पत्नि व पुत्र दर्शाकर वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाली तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को भी उक्त कुर्सीनामां में नहीं दर्शाया। स्व. मानसिंह के अन्य वारिसान पुत्रियों प्रेम कंवर व रूकमा कंवर को दर्शाया ही नहीं जबकि प्रार्थीनी व गौण अप्रार्थीगण की माता श्रीमती रूकमा कंवर स्व. मानसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिसान है वादगत खातेदारी भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन का दावा श्रीमानजी के न्यायालय में जैरकार है बहस में अनुतोष चाहा कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावे कि वादगत खसरा नम्बर 292 रकबा 14.6824 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.8853 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 3.0962 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 3.5789 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 2.6937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 11.8244 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 405 रकबा

लगातार....7 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

4.0848 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 41.8469 हैक्टेयर रोही मौजा अमरसर तहसील बीदासर की भूमि में से प्रार्थीया के 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रार्थीनी को काश्त करने, फसल लेने, प्रवेश करने से रोके नहीं, प्रवेश नहीं करें एवं विक्रय, बंधक व हस्तान्तरणादि नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य या फैल नहीं करें जिससे प्रार्थीया के वैद्य अधिकारों पर विपरित असर पड़े।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा के तथ्यों को दोहराते हूए निवेदन किया कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोश की हकदार नहीं है, क्योकि एक रेकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता, प्रार्थीया के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर सव्यय खारीज किया जावे, अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती हेतू तीनो बिन्दु प्रथम दृश्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष नहीं होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती खारिज फरमाया जावे। बहस रिबिटल में अधिवक्ता प्रार्थीया ने अर्ज किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती हेतू तीनो बिन्दू प्रथम दृश्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में है, अप्रार्थी द्वारा गलत दर्ज संयुक्त खातेदारी भूमि होने के कारण प्रार्थीया के हक हिस्सा भूमि में कब्जा दखल करने, गलत दर्ज खातेदारी के आधार पर विक्रय हस्तान्तरण कर देने का भय प्रार्थीया को होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा के समस्त तथ्य प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा प्राप्ती व जवाब प्रार्थना पत्र, सम्पूर्ण पत्रावली तथा अधिवक्तागण की सुनी गई बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन, विवेचन एवं विश्लेषण किया। प्रार्थीया को अपने पक्ष में एवं अप्रार्थी सख्या 01 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती हेतू निम्नाकिंत तीन बिन्दू सिद्ध करने आवश्यक है :–

1 प्रथम दृष्टया मामला ।
2 सुविधा का सन्तुलन ।
3 अपूर्णनीय क्षति ।

उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबध में वकील प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष की और से अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हूए यह तर्क किया गया कि प्रार्थीया का प्रथम दृश्टया मामला है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अप्रार्थी प्रार्थीया के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि को विक्रय बन्धक हस्तान्तरण कर देगे, खुदबुर्द कर देगे, मौका की स्थिति में परिवर्तन परिवर्धन कर देगे जिससे प्रार्थीया को नापुरा होने वाली असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल दावा के निस्तारण तक अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जाये।

–: प्रथम दृश्टया मामला:–

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने हेतू जब उपरोक्त तीन बिन्दुओं की विरचना की जाती है उसमें यह बिन्दु अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रकृति का बिन्दु होता है जिसे की तय करते समय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार किया जाना होता है कि वादगत सम्पति पर कब्जा किस पक्ष का है और यह कब्जा शान्तिपूर्ण और निर्विरोध रूप से चला आ रहा है या नहीं। हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से जाहिर स्थिति प्रकट होती है कि वागदत खसराजात की भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि हिस्सा भूमि है जिस पर कब्जा काश्त है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णितानुसार

लगातार....8 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रार्थीया के पिता एवं माता के जीवनकाल एवं स्वर्गवास के बाद से ही वादीया का अपने पिता की सम्मति में हिस्सा मुताबिक कब्जा दखल चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृश्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थीया के विरूद्ध साबित होना प्रतीत होता है।

–: सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति :–

सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति इन दोनो ही बिन्दूओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। सुविधा का संतुलन के संदर्भ में न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि किस पक्षकार को अधिक नुकसान या क्षति कारित हुई तथा अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू का निर्धारण करते हूए न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि जो क्षति कारित हूई है, उसकी गणना की जा सकती है या नहीं, और क्या उस क्षति की पूर्ती धन से की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अप्रार्थीगण द्वारा वादगत भूमि विक्रय बन्धक हस्तान्तरण कर देने, खुदबुर्द कर देने, मौका की स्थिति में परिवर्तन परिवर्धन कर देने से प्रार्थीया को नापुरा होने वाली असीम क्षति होने का पूर्ण अंदेशा है। इस सदंर्भ में न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि चुंकि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त विवेचना के क्रम में तय किया गया है। इस प्रकार ये दोनो बिन्दू भी अप्रार्थी के विरूद्ध एवं प्रार्थीया के पक्ष में तय किये जाते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तीनो बिन्दु प्रथम दृश्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तीय क्षति, प्रार्थीया पक्ष के एवं अप्रार्थी के विरूद्ध तय पाये गये है। जिस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा प्राप्ती स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि रोही ग्राम अमरसर के खेत खसरा नम्बर 292 रकबा 14.6824 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 कबा 0.8853 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 3.9962 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 3.5789 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 2.6937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 11.8244 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 405 रकबा 4.0848 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 41.8469 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीनीया के 1/3 हस्सा की भूमि पर प्रार्थीया को काश्त करने, फसल लेने, प्रवेश करने से रोके नहीं, विक्रय बन्धक हस्तान्तरण आदि नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य या फैल नहीं करें जिससे प्रार्थीया के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़े। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें। पत्रावली प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28/10/25 .....को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)